पीपुल्स समाचार, भोपाल
6 JAN 2011

प्राइवेट कॉलोनियों की 40% जमीन गरीबों को

राजेन्द्र धनोतिया, भोपाल

राज्य सरकार ने मप्र भूमि विकास नियम 1984 में संशोधन कर प्राइवेट डेवलपर्स को निजी भूमि में निर्माण से पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिए 40 प्रतिशत भूमि खाली छोड़ने की अनिवार्यता कर दी है। यदि डेवलपर्स चाहें तो गरीबों के लिए प्रकोष्ठों का निर्माण करने के लिए शत-प्रतिशत भूमि का उपयोग कर सकते हैं। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना में राजपत्र में 24 सितम्बर 2010 को जारी अधिसूचना में संशोधन किया है।

गरीबों के लिए भूमि खाली छोड़ने की अनिवार्यता

शेष पृष्ठ 12

यह रखे हैं प्रावधान

कमर्शियल उपयोग के लिए डेवलपर्स को भूमि के कारपेट एरिया के अनुपात में मार्ग के 18 मीटर चौड़ाई पर विकसित भूमि के दो प्रतिशत तक, 18 से 24 मीटर की चौड़ाई पर विकसित भूमि के 5 प्रतिशत तथा 24 मीटर तथा अधिक पर विकसित भूमि के 10 प्रतिशत तक की छूट दी गई है।

प्राइवेट कॉलोनियों की ...

अफोर्डेबल आवासीय परियोजना के अन्तर्गत भवन का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र कमजोर वर्ग की श्रेणी के लिए 30 से 39 वर्ग मीटर तथा निम्न आय वर्ग के लिए 40 से 58 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार आय की सीमा क्रमशः 5 हजार एवं 10 हजार तय की गई है। भूतल स्तर पर पार्किंग एवं सामुदायिक गतिविधियों के लिए स्थान उपलब्ध्य कराने, हितग्राही को कब्जा लेने के लिए 15 वर्ष के बाद ही आवासीय इकाई बेचने की अनुमति देने, उसे आवासीय इकाई सरकारी अभिकरणों की ही वापस करनी होगी। इन आवासों का डवलपर्स को 15 वर्ष का बीमा भी कराना होगा। प्राइवेट डेवलपर्स के पैरामीटर भी निर्धारित किए गए हैं। विशेषकर डेवलपर्स कंपनी तथा उसकी सहभागी कंपनी की सकल पूंजी परियोजना की लागत की कम से कम 10 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए। डेवलपर्स के पास प्रस्तावित परियोजना के लिए शहर में कम से कम 5 एकड़ भूमि होना चाहिए।